हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पत्थर, रेत व बजरी के खनन् हेतू मौजा कोठी के लिए व्यास वैली पावर कारपोरेशन लिमिटिड, कॉलोनी गॉव चुल्ला, डाकखाना तुलाह, तहसील लढ–भडोल, जिला मण्डी हि0 प्र0 में दिनॉक 31–01–2014 को की गई जन–सुनवाई, की कार्यवाही का विवरणः–

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनॉक 31–01–2014 को व्यास वैली पावर कारपोरेशन लिमिटिड, जोगिन्दर नगर में करवाई गई जन–सुनवाई का आयोजन अतिरिक्त जिला दण्ड़ाधिकारी, मण्डी की अध्यक्षता में व्यास वैली पावर कारपोरेशन लिमिटिड, कॉलोनी, गॉव चुल्ला, डाकखाना तुलाह, तहसील लढ–भडोल, जिला मण्डी हि0 प्र0 में किया गया। इस जन–सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूची संलग्न है। सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि श्री रमेश कुमार नड्डा, पर्यावरण अभियन्ता, हि0 प्र0 राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिलासपुर द्वारा आयोजित जन–सुनवाई की पृष्ठभूमि तथा इसके आयोजन के उद्देश्य से उपस्थित जनसमूह को अवगत करवाया गया। तत्पश्चात, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जन–सुनवाई की कार्यवाही शुरु की गई। इसके बाद व्यास वैली पावर कारपोरेशन लिमिटिड, जोगिन्दर नगर के अधिकारी द्वारा परियोजना के प्रारुप और विस्तृत पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में लोगों को अवगत करवाया गया । इस जन–सुनवाई की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र0	लोगों द्वारा उठाये गये सवाल	मुददों पर टिप्पणी
1	**श्री वीरेन्द्र सिंह सपुत्र श्री डागू राम, गॉव कोठीः–** यह प्रोजैक्ट नही लगना चाहिए क्योंकि खन्न से सारा पानी गॉव में आ जायेगा और सारी जमीन वह जायेगी।	प्रोजैक्ट परामर्शदाता के अनुसार खन्न इस तरिके से किया जायेगा। ताकि पानी का बहाव अवरुद्व न हो न ही बहाव का मार्ग बदल जाए।
2	**श्री मस्त राम, गॉव कोठीः–** बात ठीक नही । यह गॉव 500 साल पुराना है। सरकार इस गॉव को उजाड़ना चाहती है। आठ बार ऑब्जैक्सन हो गया। कोई भी स्टोन कशर यहॉ पर नही लगेगा। हम गॉव के लिए आत्मदाह कर लेंगें।	यह जन–सुनवाई केवल खन्न हेतू है प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने स्पष्ट कहा है कि कशर की स्थापना के लिए, प्रकिया विल्कुल अलग है।
3	**सुवेदार श्री परस राम, गॉव कोठीः–** थोडी सी बजरी ले जायेंगें कोई नुक्सान नही होगा। परन्तु यहॉ कोई कशर नही लगना चाहिए। कोठी से कोई पत्थर व बजरी नही जायेगा। यह बहुत उपजाऊ जमीन है।	यह जन–सुनवाई केवल खन्न हेतू है प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने स्पष्ट कहा है कि कशर की स्थापना के लिए, प्रकिया विल्कुल अलग है।

1/2

4	**श्री हेम चन्द ठाकुर सपुत्र सर्वगीय श्री गोविन्द राम, गॉव कोठीः–** यहॉ इक्कट्ठा होनें का मकसद है हमें बुलाया गया है। कोठी में स्टोन क्शर लगानें के लिए कई मन्त्री ठेकेदार और अफसर इस गॉव मे आए, परन्तु हमनें इन्कार किया। पॉच फुट की खुदाई पर यहॉ पर पानी निकल आता है। पण्डोह से पानी छुटनें पर भयानक सिथिति उत्पन्न हो जाती है। अतः कोई भी स्टोन क्शर यहॉ पर नही लगना चाहिए।	**श्री रमेश कुमार नड्डा, पर्यावरण अभियन्ता, हि0 प्र0 राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिलासपुरः–** क्शर का कोई प्रस्ताव नही है, उसकी प्रकिया और है।
अध्यक्ष जन सुनवाई एंव अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी मण्डी हि0 प्र0 :– देश और प्रदेश के निर्माण में हम सब लोगों का सहयोग रहना चाहिए। आप लोगों नें अपनी बात यहॉ पर रखी। आप लोगों ने अपनें ऐतराज यहॉ पर रखे। हो सकता है कि आपके ऐतराज भी सही हो। अपनी जगह आप लोग भी सही है। क्योंकि आप लागों नें ही यहॉ पर रहना है आप लोगों को यहॉ की समस्या के बारें में पता है। आप सभी की आपतियॉ हमनें सुन ली है। और उनको नोट कर लिया है। क्योंकि सक्षम प्राधिकारी होंगें जो इस पर विचार विमर्श करके ही निर्णय लेंगीं।		

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला मण्डी (हि.प्र.)

2/2